न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – कंचन राठौड़ आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या : 34/2011 सन् 2011

वादी बनाम प्रतिवादीगण

गनीखां रेहमत खां वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 की ओर से नरपत सिंह सोलंकी एडवोकेट उपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 29.11.2017

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:– प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 तक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 2.4.2012 को इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया कि प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन को प्रतिवादीगण के मकान पर मिथ्या रूप से चस्पा बता दिया गया जबकि उक्त दिन तामिल के लिये प्रतिवादीगण के यहां कोई तामिल कुनिन्दा नहीं आया तथा न ही प्रतिवादीगण ने कोई सम्मन लेने से इन्कार किया था। उक्त सम्पूर्ण मिथ्या कार्यवाही वादी ने तामिल कुनिन्दा से मिलकर की थी। प्रतिवादीगण को बाद में पता चला कि तारीख पेशी 1–8–2011 व 17–10–2011 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना की कि तारीख पेशी 1–8–2011 व 17–10–2011 से आज दिन तक का देरी क्षमा करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का आदेश फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा विस्तृत जवाब पेश किया जिसमें मुख्य रूप से कथन किया कि तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों के अनुसार तामिल करवाये गये है जो कि सही तामिल है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में कानूनन किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के दादा दाउद खां द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाननामा दिनांक 11–7–1979 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या एक को बैचान कर दी जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण द्वारा अपना नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज करवाया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके विरूद्व इस न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश से लगभग साढे पांच माह बाद प्रस्तुत किया है जबकि परिसीमा अधिनियम 1963 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय आदेश को अपास्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुती की मयाद 30 दिन है इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ देरी क्षमा किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। इस आधार पर भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपास्त किये जाने योग्य है। वादी ने अपने जवाब के अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. व वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके विरूद्व इस न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश से साढें

सहायक कलेक्टर
उप खण्ड अधिकारी

लगातार ..... पेज–2

Scanned by CamScanner

पांच माह बाद पेश किया जबकि परिसीमा कानून के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की मयाद 30 दिन है तथा न ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ देरी क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र ही इस न्यायालय में पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 7 सी.पी.सी. मयाद बाहर होने के आधार पर अपास्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादीगण संख्या 2 से 7 तक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 29.11.2017 को मेरे निर्देशन में कम्पयूटर टाईप से लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner